बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 365814 पटना, दिनांक:- 17/04/18

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(आच्छादन)-102-23/2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत फ्रेमवर्क के अध्याय-3 की कंडिका-3.4.5 में प्रावधानित ग्राम पंचायतों में saturation approach के तहत आवास की स्वीकृति में प्राथमिकता के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्र संख्या-302302 दिनांक-01.03.17 एवं पत्रांक-361746 दिनांक-23.03.18

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत फ्रेमवर्क के अध्याय-3 की कंडिका-3.4.5 में आवास की स्वीकृति के क्रम में saturation approach के साथ-साथ निर्माण सामग्री की उपलब्धता तथा व्यापक बसावट की स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य के प्रावधानों के आलोक में SAGY ग्राम पंचायतों, रर्बन कलस्टरों, खुले में शौच की प्रथा से मुक्त ग्राम पंचायतों तथा DAY-NRLM के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त सामाजिक पूँजी तैयार की गई पंचायतों को प्राथमिकता देते हुए Saturation दृष्टिकोण अपनाये जाने का निदेश दिया गया था । पुन: फ्रेमवर्क की उक्त कंडिका में संशोधन के फलस्वरूप कालाजार प्रभावित वाले गांवों के ग्राम पंचायतों को भी इसमें शामिल करते हुए आवास की स्वीकृति प्रदान करने का निदेश दिया गया है ।

यहाँ उल्लेखनीय है कि फ्रेमवर्क के अध्याय-4 की कंडिका-4.7.1 में भी लक्ष्य निर्धारण के क्रम में वार्षिक चयन सूची की तैयारी में इन परिवारों को शीर्ष परिवार के रूप में प्राथमिकता सूची में शामिल करने का प्रावधान है ।

अत: अनुरोध है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत जिला एवं प्रखण्ड को आवंटित लक्ष्य के अंतर्गत उपर्युक्त प्रावधानित ग्राम पंचायतों में saturation approach के तहत आवास की स्वीकृति हेतु प्राथमिकता प्रदान किया जाय ।

विश्वासभाजन

16/4/18

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

D:\D Drive\Mukesh\IAY 2125 A.doc